

अनापत्ति प्रमाण पत्र वन पंचायत सरपंच द्वारा

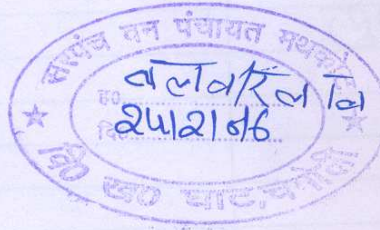
सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग।

विषय:-

जनपद चमोली में घाट-रामली मोटर मार्ग के ग्राम कुसु से बसवाडा तक
मोटर मार्ग निर्माण हेतु.....X..... हे० वन पंचायत भूमि लोक निर्माण विभाग के
नाम हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम कुसु वन
पंचायत की कुल.....X..... हे० भूमि का लोक निर्माण विभाग के नाम पर हस्तान्तरण होने में
कमेटी के सदस्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अतः कमेटी द्वारा निर्गत अनापत्ति
प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

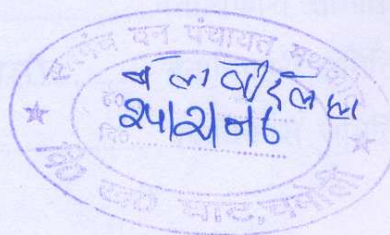


24-1-17/21
सरपंच
वन पंचायत मथुरा
(चमोली)
सरपंच

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि आज दिनांक 24-02-2016 को ग्राम पंचायत कुस
.....ग्राम पंचायत सरपंच एवं सदस्यों व ग्रामीणों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक में यह
निर्णय लिया गया कि कुस व कुसवग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 7 हे० वन पंचायत भूमि जो
लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है, उक्त प्रस्तावित भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम पर
हस्तान्तरण किये जाने पर वन पंचायत सरपंच एवं कमेटी के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

[illegible][illegible]